POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 14.02.2025

1.थाना बिसरख पुलिस द्वारा घरो में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया माल जिसमें सोने व चाँदी के आभूषण व नकदी (कुल कीमत करीब 27 लाख) बरामद।

घटनाओ का संक्षिप्त विवरण--

- **अभियुक्तगण के द्वारा निम्न घटनाओं को अन्जाम दिया गया--**

1. दिनांक 29.01.2024 को खाटू श्याम कालोनी चिपियाना बुजुर्ग थाना बिसरख क्षेत्र में तीन बन्द पडे मकानों का ताला तोडकर घरो से नकदी, सोने व चाँदी के आभूषण को चोरी किया गया था, जिसके सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 80/2025 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत है।
2. दिनांक 23.11.2024 को ब्रजवासीपुरम कालोनी थाना बिसरख क्षेत्र से घर के अन्दर से ज्वेलरी चोरी की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर वादी की लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 874/22024 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत है।
3. दिनांक 05.11.2024 को शिवम एन्कलेव पुराना हैबतपुर थाना बिसरख क्षेत्र में बन्द पडे में मकान से सोने चाँदी के आभूषण व नकदी चोरी की गयी थी जिसमें वादी की तहरीर पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 839/24 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत है।
4. दिनांक 08.01.2025 को अभियुक्तगण के द्वारा वादी मुकदमा की माता जी से हाथ के कंगन व कुण्डल को लेकर उनको पैसे से भरा बेग देने के नाम पर उनसे कुण्डल व कंगन ठग लिए गये थे जिसमें वादी की लिखित तहरीर पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 18/2025 धारा 318(3) बीएनएस पंजीकृत है।
5. दिनांक 01.01.2025 को अभियुक्तगण के द्वारा 14जी एवेन्यू में एक फ्लैट के अन्दर से सोने के आभूषण चोरी किये गये थे, जिसमें वादी की लिखित तहरीर पर थाना बिसरख मु0अ0सं0 25/2025 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत है।

कार्यवाही का विवरण-- उपरोक्त घटनाओं के अनावरण हेतु पुलिस उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया था। जिसके अनुपालन में दिनांक **14.02.2025** को सर्विलांस व लोकल इन्टेलीजेन्स के माध्यम

से प्राप्त गोपीनीय सूचना के आधार पर चिपियाना में बने रेलवे क्वाटरों से 04 अभियुक्तो 1.अकबर पुत्र वकील 2.मोमीन पुत्र शौकीन 3.अमन पुत्र यामीन

4.सलमान पुत्र रियाजुल को **गिरफ्तार** किया गया तथा उनके कब्जे से चोरी किया गया माल , नगदी 19500/- तथा सोने व चाँदी की आभूषण कीमत **करीब 27 लाख रूपये** के बरामद किये गये।

अपराध करने का तरीका--

1.सलमान और अमन कबाड़ी की फेरी लगाते हैं तथा उसी दौरान बन्द पडे मकाने को रैकी कर लेते है।

2.अकबर घरों में पुताई का काम करता है तथा उसी दौरान बन्द पडे मकाने को रैकी कर लेते है।

3.मोमीन जैकेट की फेरी करने का काम करता हैं तथा उसी दौरान बन्द पडे मकाने को रैकी कर लेते है।

अभियुक्तगण रेकी करने के बाद योजनाबद्ध तरीके से रात के समय घरों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अकबर पुत्र वकील नि0- बारात घर के पास, डासना, थाना वेवसिटी जिला गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष
2. मोमीन पुत्र शौकीन नि0- वार्ड न0- 14, पठानी चौक, डासना, थाना वेवसिटी, जिला गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष
3. अमन पुत्र यामीन नि0- मुर्गा फार्म के पास डासना, थाना वेवसिटी, जिला गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष
4. सलमान पुत्र रियाजुल नि0- बिलाल मस्जिद के पास, थाना दादरी, गौतमबुद्ध नगर उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0-874/22024 धारा 305(ए) बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 839/24 धारा 305(ए) बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 18/2025 धारा 318(3) बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 25/2025 धारा 305(ए) बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 80/2025 धारा 305(ए) बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-- 01 गले का हार, 01 कण्ठी, 02 झुमकी, 03 मंगलसूत्र, 01 टीका, 10 कान के टाप्स, 01 नथ, 04 कुण्डल, 02 कान की लड़ी, 02 चौन, 05 अंगूठी मर्दाना, 01 नाक की बाली, 04 चूड़ी, 03 लेडीज अंगूठी, 02 नाक की लौंग सोना कुल वजन लगभग 250 ग्राम अनुमानित कीमत लगभग 23 लाख एवं चाँदी का सामान जैसे 10 सिक्के, 02 कण्ठी माला, 01 मंगलसूत्र, 10 पाजेब, 03 ब्रेसलेट, 02 तगड़ी, 21 पायल, 04 कंगन, 124

बिछुवे, 07 चेन, 07 अंगूठी, 02 बिछुआ अंगूठा चाँदी कुल वजन लगभग 04 किलो अनुमानित कीमत लगभग 04 लाख रुपये, नगदी 19,900 रुपये, 01 गैस सिलेण्डर तथा 01 ताला तोड़ने की राड आदि बरामद।

नोट:- उक्त प्रकरण में अनावरण करने वाली पुलिस टीम को पुलिस उपायुक्त,सेंट्रल नोएडा श्री शक्ति मोहन अवस्थी, द्वारा 25000/- रूपये के पुरस्कार की घोषणा की गयी हैं।

2. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा लूट का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना बीटा-2 पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.02.2025 को अभियुक्त इरफान पुत्र इसरार को जीएच-1 सर्विस रोड कट के पास थाना क्षेत्र बीटा-2 से घटना में प्रयुक्त ऑटो नम्बर यूपी 16 सीटी 6749 के साथ **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का विवरण व कार्यवाही का विवरण-- अभियुक्त द्वारा मुकदमा वादिया को दिनांक 01.02.2025 को परीचौक मैट्रो स्टेशन गेट नम्बर 02 के पास से ईकोटेक के लिए बैठाया गया एवं चूहडपुर अंडर पास के पास जाकर सुनसान स्थान पर महिला से बैग छीनने का प्रयास किया गया लेकिन पीडिता मौका पाकर शोर मचाती हुयी अपना बैग लेकर ऑटो से उतर गयी थी। पीडिता के शोर मचाने के कारण पकडे जाने के डर से अभियुक्त अपना ऑटो लेकर मौके से भाग गया था। घटना के सम्बन्ध में पीडिता द्वारा थाना बीटा-2 पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जिसमें पुलिस द्वारा लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों की मदद से अज्ञात ऑटो चालक को चिन्हित कर अभियुक्त इरफान को जीएच-1 सर्विस रोड कट के पास थाना क्षेत्र बीटा-2 से घटना में प्रयुक्त आटो नम्बर यूपी 16 सीटी 6749 के साथ **गिरफ्तार** किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. इरफान पुत्र इसरार निवासी वरालोकपुर जिला इटावा हाल काशीराम कालोनी-211 थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 64/2025 धारा 304(2)/60 बीएनएस थाना बीटा-2 ग्रेनो गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त आटो नम्बर यूपी 16 सीटी 6749